क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिसलाइन के सामने,
नागौर– 341001 (राज॰), E – Mail – rorpcb.nagaur@gmail.com

RPCB/RO NGR/PUB - 156 / 1470

Date – 29/08/23

Member Secretary,
State Level Environment Impact Assessment Authority,
Government of India,
Room No. 11, Arawali Bhawan,
Jhalana Institutional Area, Jaipur (Raj.)- 302004

Sub.:- Public hearing for Environmental Clearance for "Granite Stone Mining Cluster Projects, (M.L.No.29/2022(Ref.No. 20221000057538), M.L.No.- 18/2021,19/2021, 13/2020 & 04/2022 Proposed capacity of the cluster is - 2710606 TPA(ROM) and Total Cluster Area- 8.18047 Hectare, Applied by **M/s Sh. Shree Ram S/O Sh. Chena Ram**, Ref.No.-20221000057538 (M.L. No.29/2022), Area- 1.86883 Hectare, proposed production capacity- 100000 TPA(ROM) Near Village- Surajgarh, Tehsil- Riyanbadi, District- Nagaur (Raj.)

Ref.:-

1. Auto ToR issued by SEIAA by File No. AT000007 DATED 20.01.2023
2. Office of district collector, Nagaur letter no. 3047 dated 30.05.2023.
3. Public hearing for Environmental Clearance dated 04.07.2023.

Sir,

In continuation to the letter referred above, it is submitted that Public hearing for Environmental Clearance for "Granite Stone Mining Cluster Projects, (M.L.No.29/2022(Ref.No. 20221000057538),M.L.No.- 18/2021,19/2021, 13/2020 & 04/2022 Proposed capacity of the cluster is - 2710606 TPA(ROM) and Total Cluster Area- 8.18047 Hectare, Applied by **M/s Sh. Shree Ram S/O Sh. Chena Ram**, Ref.No.-20221000057538(M.L. No.29/2022),Area- 1.86883 Hectare, proposed production capacity- 100000 TPA(ROM) Near Village- Surajgarh, Tehsil- Riyanbadi, District- Nagaur (Raj.) was conducted on 04.07.2023. Minutes of the Public Hearing, Attendance Sheet, Suggestions/Objections received, Video CD, Photographs and News Paper cuttings are enclosed herewith for further necessary action, please.

Yours sincerely,

(Savita)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. The District Collector, Nagaur.
3. CEO Jila parishad, Nagaur
4. RM RIICO, Nagaur,
5. DIC, Nagaur
6. Sub Divisional Magistrate, Riyabadi, Nagaur
7. Tehsildar, Riyanbadi, Nagaur
8. Gram Panchayat, Ladpura, Tehsil-Riyanbadi, District- Nagaur
9. Gov. Uppar Primary School, Pipaliya, Tehsil-Riyanbadi, District-Nagaur
10. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display Public Hearing Minutes on website of the State Board

Savita
Regional Officer

जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री श्रीराम पुत्र श्री चेना राम, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की कलस्टर मय खनन् परियोजना, एम. एल नं – 29/2022, क्षेत्रफल – 1.86883 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 100000 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल – 8.18041 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 810606 टन प्रतिवर्ष (रोम), निकट ग्राम–सुरजगढ़, तहसील – रियांबड़ी, जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रियांबड़ी, जिला नागौर की अध्यक्षता में दिनांक 04.07.2023 को दोपहर 04:30 बजे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गांव–पिपलिया, तहसील–रियांबडी, जिला–नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण :–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2023/3047 दिनांक 30.05.2023 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–नागौर/पी.यू.बी.–156/370–374 दिनांक 02.06.2023 के अनुपालना में मैसर्स श्री श्रीराम पुत्र श्री चेना राम, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की कलस्टर मय खनन् परियोजना, एम. एल. नं. – 29/2022, क्षेत्रफल – 1.86883 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 100000 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल – 8.18041 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 810606 टन प्रतिवर्ष (रोम), निकट ग्राम सुरजगढ, तहसील – रियांबडी, जिला – नागौर (राजस्थान) के खनन से संबंधित जनसुनवाई दिनांक 04.07.2023 को आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01** पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में दिनांक 03 जून 2023

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

(शुक्रवार) एव द इण्डियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में दिनांक 03 जून 2023 (~~गुरूवार~~) को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02** पर संलग्न है।

जनसुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुकों का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री गौरी शकर शर्मा उप खंड अधिकारी रियांबाडी, जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उदेद्श्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारिया एव ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय परिवेश इन्वोरमेन्ट इंजिनियरिंग सर्विसेज, जयपुर के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मनिष कुमार के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियो/व्यक्तियों को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध मे, कलस्टर प्रमाण पत्र एव नक्शा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेशन मैप, खनन पट्टे की गूगल इमेजनरी, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपशिष्ठ गुणवत्ता प्रबंधन,) व्यवसायिक स्वास्थ्य एव सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपशिष्ट को अनुमोदित माइंनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रबंधन तथा मण्डल मानकों के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर एवं श्री गौरी शकर शर्मा उप खंड अधिकारी रियानबाडी जिला नागौर की ओर से जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आंमत्रित किया गया। उपखण्ड अधिकारी महोदय ने जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को बताया कि आप सभी ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रोजेक्ट के बारे में जो भी बताया है आपकी तरफ से जो भी आपेक्ष/सुझाव हो उसका जवाब दिया जायेगा।

उपखण्ड जिला अधिकारी महोदय द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारें में पूछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

इसी क्रम में श्री मनीष कुमार निवासी सुरजगढ ने सुझाव दिया कि जो पौधारोपण सार्वजनिक स्थानो पर लगाये जाए उनमे पंचायत की सहभागिता रखी जाये तथा गांव के विकास कार्यक्रमो में भी पंचायत की सहभागिता दर्ज की जाए।

श्री जगा राम लाडपुरा सरपंच ने सुझाव दिया कि पेड-पौधे लगाया जाये और उनकी समय-समय पर देख-रेख की जाये। पेड-पौधो के साथ ट्रीग्राड भी लगवाये जाये। जिससे पर्यावरण सुन्दर बने। मांईन्स ग्राम पिपलिया के नजदीक संचालित होगी अतः पिपलिया गांव स्थानीय/युवाओं लोगों को रोजगार प्रदान किया जाये। भारी वाहनों के चलने से गांव की सडके टूट जाती है उन्हें सही करवाया जाये, फसले खराब होती है। यहां पर 07 से 08 माईन पहले से संचालित है। इनकी वजह से गांव वासियों को अपनी जमीने बेचनी पडी, तो उनके बच्चों को माईन में ही रोजगार दिया जाये।

श्री सुरेश चन्द गुर्जर निवासी पिपलिया ने सुझाव दिया कि पिपलिया गांव स्थानीय/युवाओं लोगों को रोजगार प्रदान किया जाये। पेड पौधा के साथ ट्रीगार्ड भी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर

लगवाये जाये, तथा हमारे द्वारा जो सुझाव दिये गये है वो हमारे सरपंच महोदय द्वारा पूर्व में दिया जा चूका है।

उपखण्ड जिला अधिकारी द्वारा गांव वालों से बार–बार पूछा की किसी सुझाव और अगर कोई आपत्ति हो तो बताए।

अंत मे गांव वालो के खान के बार मे कोई आपत्ति नही है बताया और कहा हमे इस खान से कोई दिक्कत नही है।

जनसनुवाई से पहले, दौरान एक प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त हुआ है जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 03** पर संलग्न है एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नहीं हुए है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों /व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्री गौरी शंकर शर्मा उप खंड अधिकारी रियानबाडी जिला नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. सलग्न है।

श्री गौरी शंकर शर्मा
उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला नागौर
उपखण्ड अधिकारी
रियानबाडी नागौर (राज.)
(राज.)

श्रीमती सविता
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर,

Am - 01

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री श्रीराम पुत्र श्री तेना राम, गांव [illegible] तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर के "ग्रेनाइट स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट, रेफ. नं 20221000057538 एम.एल नं 29/2022 कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 100000 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्षेत्रफल 1.86883 हेक्टेयर, एवं क्लस्टर (एम.एल नं 29/2022(रेफ नं 20221000057538), 18/2021, 19/2021, 13/2020 एवं 04/2022) उत्पादन क्षमता - 27[illegible] टन प्रतिवर्ष (रोम), क्लस्टर क्षेत्र 8.18047 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

स्थान –राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पिपलिया, तहसील– रियांबड़ी, जिला– नागौर।

दिनांक– 04.07.2023

समयः– दोपहर 04:30 बजे से

क्र.स.	नाम व पता	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	Gauri Shankar S.D.M. Riyan	9413925876	[signature]
2.	SAVITA, RO, Nagaur	9983411222	Savita
3.	जग्गाराम रावत सरपंच ग्राम पं. लाडपुरा	9461186893	[signature]
4.	मनीषकुमार (Parikesh Env. Svc.) पर्यावरणीय सलाहकार Jaipur	9602728547	[signature]
5.	उमेश गुर्जर पिपलिया	7878597241	[signature]
6.	लिखमा [illegible] पिपलिया	7742426236	[signature]
7.	दिलीप राव पिपलिया	9982178245	[signature]
8.	शिवराज गुर्जर पीपलियाँ	7023160056	Shivraj Gurjar
9.	विजयसिंह	9413914589	Vijay
10.	गोदाराम गुर्जर	8290973702	Godaram
11.	अभिषेक	8769462465	[signature]
12.	शुभम	9610692726	Shubham

मैसर्स श्री श्रीराम
माईनिंग प्रोजेक्ट, रेफ.
(रोम), क्षेत्रफल-
19/2021,
पर्या

उपरिथति पत्रक

मैसर्स श्री श्रीराम पुत्र श्री चेना राम, गांव- सुरजगढ़, तहसील--रियांबड़ी, जिला- नागौर के "ग्रेनाइट स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट, रेफ. नं 20221000057538 एम.एल नं 29/2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 100000 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्षेत्रफल- 1.86883 हेक्टेयर, एवं क्लस्टर (एम.एल.नं - 29/2022(रेफ नं. 20221000057538), 18/2021, 19/2021, 13/2020 एवं 04/2022) उत्पादन क्षमता- 2710606 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्लस्टर क्षेत्र 8.18047 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

स्थान :--राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पिपलिया, तहसील- रियांबड़ी, जिला- नागौर।

दिनांक:- 04.07.2023

समय - दोपहर 04.30 बजे से

13.	Jeem Raj	8949802214	[signature]
14.	राजराम	9783812418	राजराम
15.	लाला गुर्जर	6367496270	लाला गुर्जर
16.	रामदेव	9660761489	Ramdev
17.	कालुराम गुर्जर	8094705475	[signature]
18.	कालुराम	9001655517	कालुराम
19.	रामनिवास गुर्जर	6350236683	[signature]
20.	सुरेश चन्द गुर्जर	9587571894	Suresh
21.	सुरेन्द्र [illegible]	9636253001	[signature]
22.	शिखरचन्द	9829907740	[signature]
23.	धनराज गिला	9414118627	Dhanraj
24.	महेन्द्र गुर्जर	8619993738	Mahe

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री श्रीराम पुत्र श्री चेना राम, गाव- सुरजगढ़, तहसील–रियांबड़ी, जिला– नागौर के "ग्रेनाइट स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट, रेफ. नं. 20221000057538 एम.एल. न. 29 / 2022, मूल अनुमानित उत्पादन क्षमता 100000 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्षेत्रफल– 1.66883 हेक्टेयर, एव कलस्टर (एम.एल.न. – 29 / 2022(रेफ न 20221000057538) , 18 / 2021, 19 / 2021, 13 / 2020 एवं 04 / 2022) उत्पादन क्षमता– 2710606 टन प्रतिवर्ष (रोम), कलस्टर क्षेत्र 8.18047 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

स्थान :–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पिपलिया, तहसील– रियांबड़ी, जिला– नागौर।

दिनाकः– 04.07 2023

समयः– दोपहर 04:30 बजे से

25.	Ajay Singh Rawat	9828208912	
26.	रियाज मोहम्मद	9660756780	
27.	Rajesh Kumar	9610533186	
28.			
29.			
30.			

सेवा मे,

नं- 03 Date - 4-07-2023

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
रियां बड़ी नागौर

R... 5/7/23

विषय → 1. आबादी क्षेत्र मे ओवर लौडिंग वाहनो का निषेध करने।
2. सार्वजनिक स्थानो पर वृक्षारोपण होने बाबत।
3. स्थानीय बेरोजगारो को रोजगार दिलाने बाबत।
4. मांइसो मे ब्लास्टिंग अन्दर करने के बाबत।
5. गौशाला मे प्रतिमाह हर मांइस से 11000 रूपये की रशीद देने बाबत।

महोदय,

सविनय नम्र निवेदन है कि आये-दिन आबादी क्षेत्र भारी वाहनो के प्रवेश के कारण सडको व विद्युत पोल का क्षतिग्रस्त होने व अधिकतर स्थानीय ग्रामीण पशुपालन पर निर्भर होने के कारण आये दिन अवारा व पशु का क्षतिग्रस्त व दुर्घटना होती जा रही है।

जिससे जन-धन की हानि होती है। ग्रामीणो को निम्न समस्याओ का सामना करना पडता है।

कृपया आपसे निवेदन है कि ग्रामीण की समस्त समस्याओ को जल्द-जल्द से आप कृपा करके समाधान करके ग्रामीणो को अवग

निवेदक

समस्त ग्रामवासी

TWORK

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

म चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज)
इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

मांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-162/381 दिनांक 02.06.23

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाईट माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 30/2022, 18/2021, 19/2021 & 04/2022), कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.23086 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 694075 TPA(ROM)'' आवेदक मैसर्स नीसी ग्रेनाइट, क्षेत्र- 2.09359 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 201701 TPA(ROM) गांव- सुरजगढ़, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

और चुंकि मैसर्स नीसी ग्रेनाइट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, लाडपुरा। 10. राजकिय उच्च प्राथमिक विधालय गाँव-पीपलिया, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमाक न्याय/प्रदूषण/ज.सु2022/3002 दिनांक 30.05.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.2023 (मंगलवार) को सांय 1.30 बजे, स्थान-राजकिय उच्च प्राथमिक विधालय गाँव-पीपलिया, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (सविता), क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.)
इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-159/417 दिनांक 02.06.23

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाईट क्लस्टर माइनिंग प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 05/2022, 18/2021, 19/2021, & 04/2022), कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1140098 TPA(ROM)'' कुल क्लस्टर क्षेत्र 7.80227 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स तुलसी ग्रेनाइट, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 647724 TPA(ROM) क्षेत्रफल 3.6650 हेक्टेयर गांव- सुरजगढ़, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चुंकि मैसर्स तुलसी ग्रेनाइट, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, लाडपुरा। 10. राजकिय उच्च प्राथमिक विधालय गाँव-पीपलिया, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु2022/3023 दिनांक 30.05.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.2023 (मंगलवार) को दोपहर 03:00 बजे, स्थान-राजकिय उच्च प्राथमिक विधालय गाँव-पीपलिया, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (सविता), क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.)
इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-158/399 दिनांक 02.06.23

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाईट क्लस्टर माइनिंग प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 05/2021, 18/2021, 19/2021, 13/2020 & 04/2022), कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 2819060 TPA(ROM)'' कुल क्लस्टर क्षेत्र 8.17277 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स सुवालाल पुत्र श्री राम निवास, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 208454 TPA(ROM) क्षेत्र 1.86119 गांव- सुरजगढ़, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चुंकि मैसर्स सुवालाल पुत्र श्री राम निवास, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -

1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, लाडपुरा। 10. राजकिय उच्च प्राथमिक विधालय गाँव-पीपलिया, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु2022/3016 दिनांक 30.05.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.2023 (मंगलवार) को दोपहर 02:30 बजे, स्थान-राजकिय उच्च प्राथमिक विधालय गाँव-पीपलिया, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (सविता), क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.)
इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक. राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-160/387 दिनांकः 02.06.23

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाईट माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 12/2022, 18/2021, 19/2021 & 04/2022), कुल क्लस्टर क्षेत्र 5.55125 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 699033 TPA(ROM)'' आवेदक मैसर्स तुषार ग्रेनाइट, क्षेत्र- 1.41398 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 200659 TPA(ROM) गांव- सुरजगढ़, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चुंकि मैसर्स तुषार ग्रेनाइट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, लाडपुरा। 10. राजकिय उच्च प्राथमिक विधालय गाँव-पीपलिया, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु2022/3009 दिनांक 30.05.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.2023 (मंगलवार) को दोपहर 02:00 बजे, स्थान-राजकिय उच्च प्राथमिक विधालय गाँव-पीपलिया, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (सविता), क्षेत्रीय अधिकारी